

ब अदालत विनोद कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरुवा, जिला शिमला (हि०प्र०)

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मंगत राम, निवासी ग्राम बिगरोली, डा० बौहर, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि० प्र०) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बौहर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि के पंजीकरण बारे।

प्रार्थी श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मंगत राम, निवासी ग्राम बिगरोली, डा० बौहर, तहसील नेरुवा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बौहर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थी अब अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बौहर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहता है।

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	आंचल	पुत्री	10-10-2010

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत बौहर को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 23-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(विनोद कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी
नेरुवा, जिला शिमला (हि०प्र०)।

ब अदालत विनोद कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरुवा, जिला शिमला (हि०प्र०)

श्रीमती सरीता मखरान पत्नी श्री राजेन्द्र मखरान, निवासी मखरालडी, डा० केदी, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि०प्र०)

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि के पंजीकरण बारे।

प्रार्थिया श्रीमती सरीता मखरान पत्नी श्री राजेन्द्र मखरान, निवासी मखरालडी, डा० केदी, तहसील नेरुवा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थिया अब अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहती है।

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	ऋजुल मखरान	पुत्र	11-06-2007

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत पौलिया को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 23-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(विनोद कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी
नेरुवा, जिला शिमला (हि०प्र०)।

ब अदालत विनोद कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरुवा, जिला शिमला (हि०प्र०)

श्रीमती रीतू पत्नी श्री मुकद, निवासी ग्राम कीमा चन्द्रावली, डा० केदी, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि०प्र०) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि के पंजीकरण बारे।

प्रार्थिया श्रीमती रीतू पत्नी श्री मुकद, निवासी ग्राम कीमा चन्द्रावली, डा० केदी, तहसील नेरुवा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थिया अब अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पौलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहती है।

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	ऋषभ	पुत्र	23-01-2020

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक असालतन या बकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत पौलिया को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 23-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(विनोद कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी
नेरुवा, जिला शिमला (हि०प्र०)।

ब अदालत अर्जुन सिंह परमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरुवा, जिला शिमला (हि०प्र०)

श्री लोकिन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी ग्राम व डा० मधाना, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि० प्र०) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बौहर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि के पंजीकरण बारे।

प्रार्थी श्री लोकिन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी ग्राम व डा० मधाना, तहसील नेरुवा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत मधाना के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थी अब अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत मधाना के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहता है।

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	मानवी	पुत्री	01-12-2020

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक असालतन या बकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत मधाना को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 23-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(विनोद कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी
नेरुवा, जिला शिमला (हि०प्र०)।

ब अदालत अर्जुन सिंह परमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरुवा, जिला शिमला (हि०प्र०)

श्री परमा नन्द पुत्र श्री दया राम, निवासी ग्राम खखरौना, डा० बौहर, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि० प्र०) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता प्रत्यार्थी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बौहर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि के पंजीकरण बारे।

प्रार्थी श्री परमा नन्द पुत्र श्री दया राम, निवासी ग्राम खखरौना, डा० बौहरा, तहसील नेरुवा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बौहर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थी अब अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बौहर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहता है।

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	अजय	पुत्र	15-10-2010

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत बौहर को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 23-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(विनोद कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी
नेरुवा, जिला शिमला (हि०प्र०)।

ब अदालत अर्जुन सिंह परमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरुवा, जिला शिमला (हि०प्र०)

काशम दीन पुत्र श्री अली शेर, निवासी ग्राम शामठा, डा० टिककरी, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि० प्र०) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता प्रत्यार्थी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बौहर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि के पंजीकरण बारे।

प्रार्थी श्री काशम दीन पुत्र श्री अली शेर, निवासी ग्राम शामठा, डा० टिक्करी, तहसील नेरुवा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र व पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत चईजन के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थी अब अपने पुत्र व पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत चईजन के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहता है।

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	इस्माइल	पुत्र	15-12-2014
2.	आयशा	पुत्री	16-01-2016

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत चईजन को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 23-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(विनोद कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी
नेरुवा, जिला शिमला (हि०प्र०)।

ब अदालत अर्जुन सिंह परमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरुवा, जिला शिमला (हि०प्र०)

मोहम्मद यामीन पुत्र श्री इलम दीन, निवासी ग्राम बीड़ी, डा० गंयाह, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि० प्र०) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बौहर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि के पंजीकरण बारे।

प्रार्थी मोहम्मद यामीन पुत्र श्री इलम दीन, निवासी ग्राम बीड़ी, डा० गंयाह, तहसील नेरुवा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसनी अपने पुत्रियों का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत मानू—भाविया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थी अब अपनी पुत्रियों के नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत मानू—भाविया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहता है:

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
-------------	-----	---------	------------

1.	सलमा	पुत्री	25-12-2013
2.	राबिया	पुत्री	20-08-2015
3.	आतिका	पुत्री	08-12-2016
4.	आबिदा	पुत्री	16-06-2019

अतः आम जनता को बजारिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत मानू-भाविया को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 23-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
(विनोद कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी
नेरुवा, जिला शिमला (हि०प्र०)।